संख्या-04/2018/क0नि0-4-1446/11-2017-300(28)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 12 जनवरी, 2018**

विषय: वाणिज्य कर विभाग में क्रियाशील सिस्टम इंटीग्रेटर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2017-18/678/ वाणिज्य कर, दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत पारिश्रमिक के भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार रु0-01.50करोड़ (रुपया एक करोड़ पचास लाख मात्र) की व्यवस्था सुसंगत लेखाशीर्षक में पुनर्विनियोग के माध्यम से कर दी गई है। तद्नुसार सिस्टम इंटीग्रेटर के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त धनराशि आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. पुनर्विनियोग करायी जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
3. यह पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराए जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है। भुगतान के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण करते हुए सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-04/2018/क0नि0-4-1446(1)/11-2017, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।